न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः— सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्याः— 36/2021 (18 आयुध अधिनियम 1959) (RCMS No.2021/39)

सत्यनारायण पुत्र श्री दीनदयाल जाति धाकड निवासी बिचपुरी पट्टी वैर तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर।

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर दिनांक 13.10.2020

उपस्थितिः—

1. श्री पंकज कुमार वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः 26.12.2023

उक्त अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर के निर्णय दिनांक 13.10.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट सत्यनारायण ने जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय भरतपुर में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 03.06.2019 को पेश कर नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन किया था। आवेदन पत्र के साथ हैसियत प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र, वचन बंधपत्र, इत्यादि दस्तावेज पेश किये गये। जिस पर जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर द्वारा अपीलान्ट के नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र आवेदन दिनांक 3.6.2019 के संबध में जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर ने उनके पत्र कमांक 1342 दिनांक 24.9.2020 के द्वारा कोई औचित्यपरक कारण नहीं होने के कारण शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी नहीं किये जाने की अनुशंपा की गई। जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर की इस रिपोर्ट दिनांक 24.9.2020 के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर ने अपीलान्ट के नवीनशस्त्र अनुज्ञापत्र आवेदन पत्र दिनांक 3.6.2019 अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.10.2020 से खारिज किया है। आदेश दिनांक 13.10.2020 के विरूद्ध उक्त अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील अपीलान्ट उपस्थिति। रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.10.2020 विधिविरूद्ध व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व

अपीलान्ट के पक्ष में तहसीलदार वैर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वि.शा. भरतपुर से प्राप्त हुई रिपोर्ट का अवलोकन नहीं किया। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में तहसीलदार वैर ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा था कि अपीलान्ट की जान को खतरा है। अतः लाईसेंस देना उचित है जबकि थाना अधिकारी ने बिना किसी जांच के अपीलान्ट को शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी नहीं करने की सिफारिश की थी, जिसे वृत्ताधिकारी द्वारा भी पुलिस अधीक्षक को प्रेषित कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक भरतपुर द्वारा बिना कोई स्वतंत्र जांच कराए थानाधिकारी व वृत्ताधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किये जाने की रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर को प्रेषित कर दी। पत्रावली पर दो विरोधाभासी रिपोर्ट होने के कारण जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर को पुनः स्पष्ट रिपोर्ट तलब करनी चाहिऐ थी, परन्तु जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर ने ऐसा ना करके कानूनी प्रावधानों के विपरीत आज्ञा पारित की है जो काबिले निरस्तनीय है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर ने कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना वैर की रिपोर्ट का अवलोकन भी सही तरह से नहीं किया। जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि अपीलान्ट का अपने परिवारजन से विवाद है व गांव के कुछ व्यक्तियों से भी अपीलान्ट की बहिन व लडकी के विरूद्ध अपराध कारित करने के बाद विवाद बना हुआ है। अपीलान्ट प्रोपर्टी का व्यावसाय करता है और इस कारण उसका बाहर आना जाना बना रहता है। स्वयं थानाधिकारी वैर ने जो दिनांक 8.7.2020 को मौका रिपोर्ट तैयार की है उसमें अपीलान्ट को लाईसेंस देने की अनुशंषा की है जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किये बिना आज्ञा पारित की है जो काबिल निरस्तनीय है। अपीलान्ट ने आपसी रंजिश व अपने व्यवसाय के कारण नये लाईसेंस की मांग की थी। तहसीलदार वैर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी0आई0डी0 (सी0बी0) भरतपुर ने पूर्ण जांच के बाद अपीलान्ट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने की अभिशंषा की थी। जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित नहीं है। इसके बाबजूद जिला मजिस्ट्रेट ने विश्वास कर अपीलाधीन आज्ञा पारित की है, जो काबिले मंसूखी है। जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश केवल जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है। जबकि अन्य रिपोर्ट जो अपीलान्ट के पक्ष में थी उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर नहीं दिया गया और न ही अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर की ओर से अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.10.2020 एकतरफा में पारित किया है। जिसकी कोई जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी अपीलान्ट जब जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय भरतपुर आया तब उसे अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.10.2020 की जानकारी हुई। इस पर अपीलान्ट ने नकल के लिये आवेदन किया। नकल दिनांक 24.02.2021 को तैयार होने पर मिली। नकल प्राप्त होते ही बिना किसी देरी उक्त अपील अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किए जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किया गया है। जिसका रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो कोई जवाब पेश किया गया और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया गया। जिससे स्पष्ट होता

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक के पूर्व से रही हो। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.10.2020 निरस्त किया जावे व अपीलान्ट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने का आदेश जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर को दिया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई व मनन किया गया व अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.10.2020 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 10.03.2021 को मियाद बाहर अपील पेश किये जाने पर मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु मीमो आफ अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया है। जिसमें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय भरतपुर में दिनांक 24.02.2021 को आने पर होने पर नकल हेतु आवेदन किये जाने व नकल प्राप्त होते ही जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील पेश करने का उल्लेख किया है। रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया गया और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया गया। जिससे स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक के पूर्व से अपीलाधीन निर्णय की जानकारी रही हो। वैसे भी माननीय राजस्व मण्डल व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि अपीलीय न्यायालय को मियाद संबंधी बिन्दु पर उदार रूख रखना चाहिए तथा तकनीकी बिन्दु पर अपील को खारिज करने से बचना चाहिए। चूंकि अपीलान्ट की ओर से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसके विपरित कोई तथ्य हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलान्ट की ओर से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय भरतपुर में निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र दिनांक 31.05.2019 को प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ वचन पत्र, घोषणा पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आयकर रिटर्न आदि की प्रति प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट की ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय भरतपुर के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआई आईबी भरतपुर, तहसीलदार वैर व पुलिस अधीक्षक भरतपुर को पत्र दिनांक 28.06.2019 के द्वारा रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी वि0शा0 भरतपुर ने अपने पत्र दिनांक 18.07.2019 में आवेदक के पास करवा वैर में 27 बीघा कृषि भूमि होने व रियल स्टेट का कारोबार करने, आवेदक की स्थिति अच्छी होने, आवेदक के आत्मरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञा पत्र चाहने के आधार पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया। इसी प्रकार तहसीलदार वैर ने अपनी रिपोर्ट

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

दिनांक 10.07.2019 में प्रार्थी को उसकी जान को खतरे का अन्देशा होने व प्रार्थी की कृषि भूमि को असामाजिक तत्व जबरन हथियाना चाहने व जान से मारने की धमकी देने के कारण अनुज्ञा पत्र दिया जाना उचित होना बताया। पुलिस अधीक्षक भरतपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 24.09.2020 में आवेदक के विरूद्ध मुताबिक रिकार्ड थाना वैर के कोई भी सजायवी साबिक का अंकित नहीं होना बताया। थानाधिकारी वैर एवं वृत्ताधिकारी वृत्त भुसावर द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने की सिफारिश नहीं किये जाने के कारण कोई औचित्यपरक कारण प्रतीत नहीं होने के कारण अनुज्ञा पत्र जारी करने की अभिशंपा नहीं की गई। पुलिस अधीक्षक से प्राप्त पत्र के साथ वृत्ताधिकारी वृत्त भुसावर के पत्र दिनांक 06.08.2020, थानाधिकारी पुलिस थाना वृत्त वैर के पत्र दिनांक 31.07.2020 व बीट कांस्टेबल की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 08.07.2019 की प्रति संलग्न की गई है। जिसमें थानाधिकारी एवं वृत्ताधिकारी ने अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किये जाने की अनुशंपा की है, परन्तु बीट कांस्टेबल द्वारा आत्मरक्षार्थ लाइसेन्स दिया जाना उचित बताया। जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर ने पुलिस अधीक्षक भरतपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 24.09.2020 के आधार पर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में अनुज्ञा पत्र संबंधी पत्रावली के कार्यालय टिप्पणी पर दिनांक 13.10.2020 को "REJECTED" किये जाने का आदेश पारित किया है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से यह अपील पेश की गई है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपरोक्त कार्यवाही किये जाने से पूर्व न तो अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिया गया और न ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी वि0शा0 भरतपुर व तहसीलदार वैर की ओर से प्राप्त रिपोर्ट जिसमें अपीलान्ट को आत्मरक्षार्थ नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने की अभिशंपा की गई थी, के संबंध में कोई विवेचन किया गया, जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में स्पष्ट व स्पीकिंग आदेश भी पारित नहीं किया गया। केवल मात्र शाखा के प्रभारी अधिकारी की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर आवेदन पत्र को रिजेक्ट किये जाने का आदेश दिया है, जो कि निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.10.2020 निरस्त किया जाकर प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी वि0शा0 भरतपुर व तहसीलदार वैर से प्राप्त हुई रिपोर्ट का विवेचन करते हुए अपने अभिमत के साथ स्पष्ट व स्पीकिंग आदेश आयुध अधिनियम में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुए नये सिरे से पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 26.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर